

No.N.38014/1/2012-FM  
Government of India  
Ministry of Information and Broadcasting  
(FM Cell)

New Delhi, the 3<sup>rd</sup> January, 2013

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject : Constitution of Committee for processing of recommendations/reports of Telecom Regulatory Authority of India (TRAI).**

It has been decided to constitute an Inter-Ministerial Committee (IMC) in the Ministry of Information and Broadcasting to process recommendations received from TRAI relating to 'Broadcast Services'. This Committee would give its inputs before the appropriate competent authority in the Government of India takes policy decisions on all recommendations of TRAI that relate to 'Broadcasting Sector'. The composition of the Committee would be as follows:-

- |       |   |                  |
|-------|---|------------------|
| i)    | Additional Secretary, Ministry of I&B   | Chairperson      |
| ii)   | Representative of Department of Telecommunications<br>(not below the rank of Joint Secretary)                 | Member           |
| iii)  | Representative of Department of Information Technology<br>(not below the rank of Joint Secretary)             | Member           |
| iv)   | Representative of Department of Economic Affairs<br>(not below the rank of Joint Secretary)                   | Member           |
| v)    | Representative of Department of Industrial Policy and<br>Promotion<br>(not below the rank of Joint Secretary) | Member           |
| vi)   | Chairman & Managing Director,<br>Broadcast Engineering Consultants India Ltd.,                                | Member           |
| vii)  | Director General, Doordarshan   | Member           |
| viii) | Director General, All India Radio   | Member           |
| ix)   | Engineer-in-Chief, Doordarshan  | Member           |
| x)    | Engineer-in-Chief, All India Radio  | Member           |
| xi)   | Joint Secretary(B-I/B-II), Ministry of I&B,   | Member-Secretary |

2. The Committee may co-opt of any number(s) as considered necessary from time to time.

3. The Committee recommendations will be submitted to Secretary(I&B) and thereafter to the Minister for instructions on matters relating to recommendations of TRAI.

4. The IMC will be serviced by the JS(B-I) or JS(B-II) as the case may be and the section concerned.

5. This issues with the approval of the competent authority.



(C.S.Kaushik)

Deputy Secretary(FM)

Tel.No.23384933

E-mail: [cs.kaushik@nic.in](mailto:cs.kaushik@nic.in)

- i. Secretary, Department of Telecommunications
- ii. Secretary, Department of Information Technology
- iii. Secretary, Department of Economic Affairs
- iv. Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion
- v. Chairman & Managing Director, BECIL
- vi. Director General, Doordarshan
- vii. Director General, All India Radio
- viii. Engineer-in-Chief, All India Radio
- ix. Engineer-in-Chief, Doordarshan

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble MSIB
2. Sr.PPS to Secretary(I&B)
3. PPS to Additional Secretary(I&B)
4. PPS to Additional Secretary & Financial Adviser (I&B)
5. OSD to Chief Executive Officer, Prasar Bharati
6. Sr.PPS to Joint Secretary(B-II)
7. Sr.PPS to Joint Secretary(B-I)
8. Director(BA-P)/Director(BC)/Director(DAS)/DS(BA-E)/DS(BD)/Director(BP&L)
9. BC/BC-IV/B(D)/B(Fin)/FM Cell/BP&L/BA(P)/BA(E)/TV(I)/CRS

No.N.38014/1/2012-FM  
Government of India  
Ministry of Information and Broadcasting  
(FM Cell)

New Delhi, the 4<sup>th</sup> January, 2013

**ADDENDUM**

**Subject : Constitution of Committee for processing of recommendations/reports of Telecom Regulatory Authority of India (TRAI).**

With reference to this Ministry's Office Memorandum of even number dated 3.1.2013, the following correction/addition is made in respect of the composition of the Committee:-

(i) Representative of Department of Legal Affairs                      Member  
(not below the rank of Joint Secretary)

2. Other terms and conditions as stated in the Office Memorandum of even number dated 3.1.2013 will remain the same.



(C.S.Kaushik)  
Deputy Secretary(FM)  
Tel.No.23384933  
E-mail: [cs.kaushik@nic.in](mailto:cs.kaushik@nic.in)

Secretary, Department of Legal Affairs

Copy to:

- i. Secretary, Department of Telecommunications
- ii. Secretary, Department of Information Technology
- iii. Secretary, Department of Economic Affairs
- iv. Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion
- v. Chairman & Managing Director, BECIL
- vi. Director General, Doordarshan
- vii. Director General, All India Radio
- viii. Engineer-in-Chief, All India Radio
- ix. Engineer-in-Chief, Doordarshan

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble MSIB
2. Sr.PPS to Secretary(I&B)
3. PPS to Additional Secretary(I&B)
4. PPS to Additional Secretary & Financial Adviser (I&B)
5. OSD to Chief Executive Officer, Prasar Bharati
6. Sr.PPS to Joint Secretary(B-II)
7. Sr.PPS to Joint Secretary(B-I)
8. Director(BA-P)/Director(BC)/Director(DAS)/DS(BA-E)/DS(BD)/Director(BP&L)
9. BC/BC-IV/B(D)/B(Fin)/FM Cell/BP&L/BA(P)/BA(E)/TV(I)/CRS

सं. एन 38014/1/2012-एफएम

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(एफ एम सैल)

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2013

कार्यालय जापन

विषय- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की संस्तुतियों/रिपोर्टों पर विचार/कार्रवाई करने हेतु समिति का गठन।

'प्रसारण सेवाओं' के संबंध में ट्राई से प्राप्त संस्तुतियों पर विचार करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अंतर-मंत्रालयीय समिति (आई एम सी) का गठन करने का निर्णय लिया गया है। यह समिति 'प्रसारण सेवाओं' के संबंध में ट्राई की सभी संस्तुतियों पर भारत सरकार में उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीतिगत निर्णय लिए जाने से पूर्व अपने विचार प्रस्तुत करेगी। समिति का संघटन निम्नानुसार होगा:-

- |        |   |           |
|--------|---|-----------|
| (i)    | अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय   | - अध्यक्ष |
| (ii)   | दूरसंचार विभाग का प्रतिनिधि<br>(कम-से-कम संयुक्त सचिव के रैंक का अधिकारी)                 | - सदस्य   |
| (iii)  | सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि<br>(कम-से-कम संयुक्त सचिव के रैंक का अधिकारी)       | - सदस्य   |
| (iv)   | आर्थिक कार्य विभाग का प्रतिनिधि<br>(कम-से-कम संयुक्त सचिव के रैंक का अधिकारी)             | - सदस्य   |
| (v)    | औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का प्रतिनिधि<br>(कम-से-कम संयुक्त सचिव के रैंक का अधिकारी) | - सदस्य   |
| (vi)   | अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,<br>ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड           | - सदस्य   |
| (vii)  | महानिदेशक, दूरदर्शन   | - सदस्य   |
| (viii) | महानिदेशक, आकाशवाणी   | - सदस्य   |
| (ix)   | प्रमुख अभियंता, दूरदर्शन  | - सदस्य   |
| (x)    | प्रमुख अभियंता, आकाशवाणी  | - सदस्य   |
| (xi)   | संयुक्त सचिव (प्रसारण-I/प्रसारण-II), सूचना और प्रसारण मंत्रालय                            | - सदस्य   |

2. समिति समय-समय पर यथावश्यकतानुसार किसी भी/किन्हीं भी सदस्य/सदस्यों को सह-योजित कर सकती है।

3. ट्राई की संस्तुतियों से संबंधित मामलों पर निर्देशन हेतु समिति की सिफारिशें सर्वप्रथम सचिव (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) को और तत्पश्चात मंत्री महोदय को प्रस्तुत की जाएंगी।

4. अंतर-मंत्रालय समिति (आई एम सी) से संबंधित मामलों का प्रबंधन संयुक्त सचिव (प्रसारण-I) अथवा संयुक्त सचिव (प्रसारण-II), यथास्थिति और संबंधित अनुभाग द्वारा किया जाएगा।

5. यह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।



(सी एस कौशिक)

उप सचिव (एफ एम)

दूरभाष- 23384933

ई मेल- [cs.kaushik@nic.in](mailto:cs.kaushik@nic.in)

- i) सचिव, दूरसंचार विभाग
- ii) सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
- iii) सचिव, आर्थिक कार्य का विभाग
- iv) सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- v) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, वेसिल
- vi) महानिदेशक, दूरदर्शन
- vii) महानिदेशक, आकाशवाणी
- viii) प्रमुख अभियंता, आकाशवाणी
- ix) प्रमुख अभियंता, दूरदर्शन

#### सूचनार्थ प्रतिलिपि :

1. माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री के निजी सचिव
2. सचिव (सूचना और प्रसारण) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
3. अपर सचिव (सूचना और प्रसारण) के प्रमुख निजी सचिव
4. अपर सचिव और वित्त सलाहकार (सूचना और प्रसारण) के प्रमुख निजी सचिव
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती के विशेष कार्य अधिकारी
6. संयुक्त सचिव (प्रसारण-II) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
7. संयुक्त सचिव (प्रसारण-I) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
8. निदेशक (बीए-पी)/निदेशक (बीसी)/निदेशक (डीएसएस)/उप सचिव (बीए-ई)/उप सचिव (बीडी)/निदेशक (बीपी एंड एल)
9. बीसी/बीसी-IV/बी(डी)/बी(वित्त)/एफएम सैल/बीपीएंड एल/बीए(पी)/बीए(ई)/टीवी (I)/सीआरएस

सं. एन 38014/1/2012 -एफएम

भारत सरकार  
सूचना और प्रसारण मंत्रालय  
(एफ एम सैल)

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2013

अनुशेष

विषय- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की संस्तुतियों/रिपोर्टों पर विचार करने हेतु समिति का गठन।

इस मंत्रालय के दिनांक 03.01.2013 के समसंख्यक कार्यालय जापन के संदर्भ में समिति के संघटन के संबंध में निम्नलिखित अशुद्धिशोधन/परिवर्धन है:-

- (i) विधि कार्य विभाग के प्रतिनिधि  
(कम-से-कम संयुक्त सचिव के रैंक का अधिकारी) सदस्य
2. अन्य निबंधन एवं शर्तें दिनांक 03.01.2013 के समसंख्यक कार्यालय जापन में यथा / उल्लेखानुसार ही रहेंगी।



(सी एस कौशिक)

उप सचिव (एफ एम)

दूरभाष- 23384933

ई मेल- [es.kaushik@nic.in](mailto:es.kaushik@nic.in)

सचिव, विधि कार्य विभाग

प्रतिलिपि:

- (i) सचिव, दूरसंचार विभाग
- (ii) सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
- (iii) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग
- (iv) सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- (v) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बेसिल
- (vi) महानिदेशक, दूरदर्शन
- (vii) महानिदेशक, आकाशवाणी
- (viii) प्रमुख अभियंता, आकाशवाणी
- (ix) प्रमुख अभियंता, दूरदर्शन

सूचनार्थ प्रतिलिपि :-

1. माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री के निजी सचिव
2. सचिव (सूचना और प्रसारण) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
3. अपर सचिव (सूचना और प्रसारण) के प्रमुख निजी सचिव
4. अपर सचिव और वित्त सलाहकार (सूचना और प्रसारण) के प्रमुख निजी सचिव
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती के विशेष कार्य अधिकारी
6. संयुक्त सचिव (प्रसारण-II) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
7. संयुक्त सचिव (प्रसारण-I) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
8. निदेशक (बीए-पी)/निदेशक (बीसी)/निदेशक (डीएस)/उप सचिव (बीए-ई)/उप सचिव (बीडी)/निदेशक (बीपी एंड एल)
9. वीसी/बीसी - IV/बी(डी)/ बी (वित्त)/एफएमसैल/ बीपीएंड एल/बीए(पी)/बीए(ई)/टीवी (I)/ सीआरएस